भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 136
(जिसका उत्तर सोमवार, 03 फरवरी 2020/14 माघ, 1941 (शक) को दिया गया)
एमपीलैड हेतु सीएसआर निधि

136. श्री मुकेश राजपूतः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कंपनियों के कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के उपयोग के लिए कोई नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्य के लिए सीएसआर निधियों का उपयोग कर सकते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन निधियों का किस प्रकार उपयोग किया जाएगा; और
(ग) क्या सीएसआर निधि के अन्तर्गत शुरू किए गए विकास कार्यों की निगरानी के लिए कोई एजेंसी स्थापित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 अधिदेशित करती है कि प्रत्येक कंपनी, जिसका तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान निवल मूल्य 500 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक, या कारोबार 1000 करोड़ रुपये या इससे अधिक, या निवल लाभ 5 करोड़ रुपये या इससे अधिक है, तो कंपनी की सीएसआर नीति के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए व्यय करना होता है। सीएसआर के लिए किए गए कार्यकलाप अधिनियम की अनुसूची-VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषयों से संबंधित होने चाहिएं। सीएसआर से संबंधित प्रचालनात्मक ढांचा कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में विहित है। सीएसआर बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सीएसआर कार्यकलापों को विनिश्चित करने, निष्पादित करने और निगरानी करने की शक्ति प्राप्त है। संपूर्ण सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों के लिए एमसीए21 रजिस्ट्री में सीएसआर का विवरण वार्षिक रूप से फाइल करना अपेक्षित है।

****